श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी–4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110016

क्रमांक :एफ–8(1) ला.ब.शा.रा.सं.वि./छात्रावास/2022–23/562 दिनांक : 15.07.2022 21

निविदा सूचना

विषयः सत्र 2022–2023 के लिए विश्वविद्यालयीय–छात्रावास–भोजनालय संचालनार्थ

शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए विश्वविद्यालयीय छात्रावास के भोजनालय हेतु सम्बन्धित कार्य में दक्ष एवं शैक्षणिक संस्थाओं आदि में कम से कम दो वर्ष तक भोजनालय का संचालन करने वाले व्यक्तियों/पंजीकृत संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती हैं। यह भोजनालय अगस्त 2022 से 31 मई 2023 तक चलेगा । भोजन व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों के आधार पर होगी शर्तों के पूर्ण न होने तथा विसंगति होने पर समिति द्वारा कभी भी अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है।

1. कुल भोजन करने वाली नियमित छात्राओं की संख्या लगभग 100 तक होगी।
2. प्रतिदिन प्रातः अल्पाहार (नाश्ता) दोपहर एवं रात्रि में दाल, चावल, सब्जी, रोटी पूर्णाहार। (प्याज–लहसुन रहित) छात्रावास प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित मैन्यू भोजन सूची के अनुसार।
3. प्रत्येक रविवार रात्रि स्पेशल भोजन–खीर, पूड़ी,मटर पनीर छोले, पापड़, अचार,एवं सलाद रहेगा। परिवर्तित भोजन, पालक–पनीर, आलू की सब्जी कढ़ी, रायता आदि (प्याज–लहसुन रहित)/निर्धारित मैन्यू भोजन सूची के अनुसार।
4. भोजनालय सुरक्षित राशि के रूप में रुपये 50,000/–(रुपये पचास हजार रुपये) कार्यालय में जमा कराना होगा। भोजनालय की कोई भी सामग्री/उपकरण बर्तन आदि टूटने–फूटने व कम होने पर उसकी राशि सुरक्षित धन राशि में से काट ली जायगी।
5. भोजनालय ठेके पर दी गयी पूर्ण अवधि में चलाना होगा। पूर्ण–अवधि में न चलाने पर सुरक्षित राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. भोजन का निर्धारित समय प्रातः अल्पाहार (नाश्ता) 7.30 से 9.00 बजे दोपहर भोजन 12.30 बजे से 2.30 बजे तक एवं रात्रि भोजन 7.30 से रात्रि 9.00 बजे के मध्य होगा।
7. बाहरी अतिथियों को अधिष्ठाता/उप–अधिष्ठाता की अनुमति के बिना भोजन कराना सर्वथा निषिद्ध होगा।
8. एक माह में सामान्यतया अवकाश चाहने वाली छात्राओं का प्रार्थना पत्र एक दिन पूर्व आने पर अधिकतम 5 दिन का अवकाश स्वीकृत किया जायेगा व इस अवधि की भोजन राशि भी बिल में से कम करनी होगी।
9. पूजावकाश/शीतावकाश/एन.सी.सी./दिल्ली से बाहर जाकर प्रतियोगिताओं में भाग ग्रहण करने की स्थिति में लगभग 15 दिन का जो छात्राऐं अवकाश लेना चाहेगीं उनका उतने दिन का भोजन शुल्क कम करना होगा। इस अवधि में 5 दिन का अवकाश अलग से मान्य नहीं होगा।
10. प्रतिदिन सब्जी, ऋतु के अनुसार बदलकर देनी होगी।
11. उत्तम स्तर का भोजन देना होगा। आकस्मिक निरीक्षण करने पर यदि भोजन का स्तर ठीक नहीं पाया जायेगा तो अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा और सुरक्षित धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
12. सभी व्यवस्था छात्रावास अधिष्ठाता/छात्रावास उपअधिष्ठाता के आदेशानुसार करनी होगी।

13. भोजन छात्राओं को भोजनालय कक्ष में टेबल पर परोसना होगा।
14. चाय आदि की व्यवस्था, प्रशासन की लिखित अनुमति लेकर अतिरिक्त रूप से नकद कूपन भुगतान द्वारा कर सकते हैं। दर का निर्धारण कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
15. नकद कूपन भुगतान द्वारा जितने अतिथि, एक माह में भोजन करेंगे, उतने कूपन आदि व्यवस्था हेतु 5/– रुपये प्रत्येक अतिथि के हिसाब से छात्रावास खाते में जमा कराने होंगे।
16. छात्रावासीय छात्राओं के आगन्तुकों का भोजन, नकद कूपन द्वारा मान्य होगा। अतिथियों हेतु भोजन दर, साधारण/स्पेशल प्राशासनिक स्वीकृति एवं निर्देशानुसार निर्धारित की जायेगी ।
17. छात्राओं का भोजनालय होने के कारण भोजनालय में महिला कर्मचारी को रखना अनिवार्य होगा।
18. **FSSAI** द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
19. अधिष्ठाता/उपअधिष्ठाता/प्रबन्ध समिति/निरीक्षण समिति के आकस्मिक निरीक्षण में भोजन की गुणवत्ता में कमी होने तथा भोजनालय में अस्वच्छता/गंदगी होने की स्थिति में प्रथम बार रूपये 500/– तथा द्वितीय बार ऐसा करने पर रूपये 1000/– का निर्धारण कर अधिष्ठाता दण्डित कर सकते हैं।
20. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न करने पर अनुबन्ध प्रबन्ध समिति द्वारा निरस्त किया जा सकता है या आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है। इसका अधिकार छात्रावास अधिष्ठाता के पास होगा।
21. बाहर से पका हुआ भोजन लाना तथा बना कर बाहर ले जाना दोनों निषिद्ध होगा। ऐसा करने पर आर्थिक दण्ड या (अनुबन्ध) ठेकेदारी निरस्तीकरण अधिष्ठाता की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है।
22. प्रत्येक मास अधिष्ठाता छात्राओं की समिति गठित करेंगे तथा मैन्यू का निर्धारण करेंगे। तदनुसार भोजन का निर्माण करना आवश्यक होगा।
23. बासी भोजन कराने पर उस समय के भोजन का मूल्य निरस्त किया जा सकता है,यह अधिकार अधिष्ठाता का होगा। किसी भी परिस्थिति में बासी भोजन परोसना पूर्णतः निषिद्ध होगा।
24. छात्रावास अधिष्ठाता द्वारा लिखित तीन बार चेतावनी देने पर भी भोजन की गुणवता में यदि सुधार नहीं किया जाता है तो अनुबन्ध निरस्त कर सुरक्षित धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
25. भोजन व्यवस्थापक को प्रबन्ध समिति के बुलाने पर प्रबन्ध समिति के समक्ष तीन बार अनुपस्थित होने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा एवं सुरक्षित धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
26. यह अनुबन्ध कभी भी एक मास की पूर्व सूचना पर निरस्त किया जा सकता है।
27. पाचकों एवं कर्मचारियों का आधार कार्ड/पहचान पत्र आदि संलग्न करना होगा।
28. खाना परोसने के पश्चात् प्रति–दिन भोजनालय कक्ष/ पाकशाला कक्ष की साफ–सफाई करना अनिवार्य होगा।
29. छात्रावास प्रबन्ध समिति द्वारा कभी भी भोजनालय परिसर का निरीक्षण किया जा सकता है।
30. (अनुबन्धकर्ता) ठेकेदार को भोजन के समय भोजनालय में उपस्थित रहना होगा।
31. यदि किसी कारण से भोजनालय चलाने में असमर्थता हो तो कम से कम एक माह पूर्व लिखित सूचना देकर ही भोजनालय को बन्द किया जा सकेगा। पूर्व सूचना के बिना अचानक बन्द करना नियम के खिलाफ तथा दण्डनीय होगा इसके दण्डस्वरूप सुरक्षित धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

विशेष :– अधोलिखित जानकारी एवं प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें :–

- कैटरर्स के मालिक का स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
- फोन नं0 एवं मोबाइल नंम्बर।
- अनुभव प्रमाण पत्र कम से कम एक सरकारी/स्वायत्तशासी/निजी शैक्षणिक संस्थाओं आदि में दो वर्ष तक कम से कम 100 व्यक्तियों के भोजन कराने का अनुभव।
- पैन नंम्बर
- कम से कम तीन वर्ष की आयकर रिटर्न की कॉपी ।
- आधार कार्ड
- बैंक खाते का विवरण।

उपर्युक्त विवरण एवं मानकों के अनुसार जो भी व्यक्ति, संस्था अनुबन्ध (ठेकेदारी) पर भोजनालय चलाना चाहें वे अपना प्रार्थना पत्र भोजन दर सहित अधोहस्ताक्षरी के पास मुहरबन्द लिफाफे में दिनांक 10.08.2022 सायं 5 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
निविदा खुले हुए लिफाफे में होने या टेप से बन्द न होने पर अस्वीकार्य होगी।

नोटः— आवेदन पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र भी पूरित कर प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायगा तथा अपूर्ण प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायगा।

(प्रो. मीनाक्षी मिश्रा)
छात्रावास अधिष्ठात्री

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–
1. अध्यक्षा छात्रावास प्रवेश / प्रबन्ध समिति
2. मुख्य सतर्कता अधिकारी
3. कुलानुशासक
4. कुलपति / वित्ताधिकारी के निजी सचिव
5 उपकुलसचिव (लेखा / विकास)
6. सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक) / प्रशा.
8. सूचनापट्ट विश्वविद्यालय / छात्रावास
9. संगणक केन्द्र को, उक्त सूचना विश्वविद्यालयीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित।

मीनाक्षी
15/07/2022

(प्रो. मीनाक्षी मिश्रा)
छात्रावास अधिष्ठात्री

for n.a. pls.
21/07/2022

Sh. Sachin

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी–4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110016

सत्र–2022–2023

आवेदन पत्रः– भोजनालय संचालन हेतु–संचालक ठेकेदार का विवरण।

1. नाम...

2. पिता का नाम..

3. जन्म तिथि...

4. स्थाई पता...
....
....

5. वर्तमान पता..
....
....

6. टेलीफोन नं0..............................मोबाईल नं0..................................

7. भोजनालय की मासिक दर रुपये...

फोटो

निम्नलिखित जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें:–

- अनुभव प्रमाण पत्र सरकारी/ स्वायत्तशासी/निजी शैक्षणिक आदि संस्थाओं में कार्य करने के अनुभव की अवधि।
- यदि विश्वविद्यालय में कार्य किया हो तो उसकी अवधि एवं संस्तुति प्रमाण पत्र।
- पैन नं0
- आयकर रिटर्न की कापी (तीन वर्ष की)
- परिचयपत्र–निर्वाचन कार्ड/राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से किसी एक की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें ।
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र/वर्तमान निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड की प्रति

दिनांक.............................

(आवेदक के हस्ताक्षर)